



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com

visit www.nagarnigamrudrapur.com

दूरभाष- 05944-242400



पत्रांक:- 1659 / सा0नि0अनु0/ई-नि0सू0/2025-26

दिनांक- 10/10/2025

ई-निविदा सूचना

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा अन्तर्गत नगर निगम रुद्रपुर के विभिन्न बाडों में आन्तरिक सडकों के सुधारीकरण एवं नाली निर्माण कार्य हेतु निम्नांकित की-डेट्स के अनुसार ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं। जिसमें नगर निगम रुद्रपुर में पंजीकृत "ए" श्रेणी ठेकेदार/फर्म प्रतिभाग कर सकते हैं। ई-निविदा से सम्बन्धित सभी सूचनायें उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट www.uktender.gov.in एवं नगर निगम रुद्रपुर की वेबसाईट www.nagarnigamrudrapur.com पर अवलोकित की जा सकती हैं तथा उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट www.uktender.gov.in से डाउनलोड व भरी हुई निविदा अपलोड की जा सकती है तथा अधिक जानकारी नगर निगम निर्माण अनुभाग के कक्ष संख्या 23 से किसी भी कार्यालय दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है जिसकी की-डेट्स निम्नानुसार है-

S.No.	Schedule/Information	Date	Time
1-	Date of online Publication	13-10-2025	11:00 AM
2-	Documents Download Start Date	13-10-2025	11:00 AM
3-	Bid Submission Start Date	13-10-2025	11:00 AM
4-	Bid Submission End Date	29-10-2025	5:00 PM
5-	Offline Submission of Hard/Original Copy of Documents: End Date	30-10-2025	12:00 PM
6-	Bid Opening Date	30-10-2025	3:00 PM

(नरेश चन्द दुर्गापाल)
नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

(विकास शर्मा)
महापौर
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

प्रतिलिपि:- निम्नानुसार नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

1. कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
2. मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
3. कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
4. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर व उत्तर 360 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ई-निविदा सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में न्यूनतम 30 प्रतिशत छूट देते हुए समाचार पत्र दिनांक 11-10-2025 के अंक में न्यूनतम पठनीय रूप में प्रकाशित करते हुए समाचार पत्र की 02 प्रतियां इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

प्र0 अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

“कार्य का विवरण एवं ई-निविदा हेतु शर्तें व नियम”

1. निर्माण कार्य का विवरण, धरोहर धनराशि, निविदा मूल्य, कार्य निष्पादन हेतु समयावधि आदि विवरण निम्नवत् है—

क्र. सं.	कार्य का नाम	आंगणन धनराशि (लाख में)	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा मूल्य+जी.एस.टी.			निविदा की वैधता	कार्य अवधि	ठेकेदार श्रेणी
				मूल्य	जी.एस. टी.	कुल			
1	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा अन्तर्गत नगर निगम रुद्रपुर के विभिन्न वार्डों में आन्तरिक सड़कों के सुधारीकरण एवं नाली निर्माण कार्य	100.00	2.00 लाख	4,000.00	720.00	4,720.00	90 दिवस	06 माह	“ए”

—: ऑफ लाईन/ऑनलाइन तकनीकी बिड हेतु आवश्यक प्रपत्रों की सूची :—

- 1—निविदा मूल्य ₹0 4720.00 (जी0एस0टी0 सहित) का मांग ड्राफ्ट नगर आयुक्त नगर निगम रुद्रपुर के पदनाम से बन्धक हो मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 2—धरोहर धनराशि ₹0 2.00 लाख की एफ.डी.आर./एन.एस.सी. मूलरूप में जो कि नगर आयुक्त नगर निगम रुद्रपुर के पदनाम से बन्धक हो मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 3—मु0 100.00 ₹0 का स्व हस्ताक्षरित गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (रसीदी टिकट सहित) जिसमें निविदा की वैधता इंगित हो।
- 4—नगर निगम रुद्रपुर में वर्ष 2025-26 में पंजीकृत होने का पंजीकरण का प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति।
- 5—जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा जी0एस0टी0 अदेयता का प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 6— निविदादाता द्वारा विगत 05 वर्षों में कम से कम समान (Similar) प्रकृति के न्यूनतम 01 कार्य का अनुभव हो, जिसकी मात्रा निविदा की आंकलित लागत का न्यूनतम 33 प्रतिशत हो स्व प्रमाणित कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त सभी प्रमाण पत्रों को एक लिफाफे में सीलबन्द कर लिफाफे के बाहर सम्बन्धित कार्य की ऑफ लाईन तकनीकी बिड अंकित करते हुए लिफाफा निविदा बाक्स में जमा करना आवश्यक होगा। स्टेपल पिन से बन्द किया गया लिफाफा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

1. निविदादाता को निर्धारित तिथि एवं समय तक समस्त ऑफलाइन व ऑनलाइन निविदा प्रपत्र अपलोड/प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तकनीकी बिड (ऑनलाइन व ऑफलाइन) में सफल निविदादाताओं की ही वितीय निविदा खोली जायेगी।
2. निर्धारित तिथि व समय तक प्राप्त ई-निविदाओं को की-डेट्स के अनुसार अधिप्राप्ति निविदा समिति या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। अपरिहार्य कारणों से निविदा खोले जाने की तिथि व समय में परिवर्तन किया जा सकता है।
3. प्राप्त ई-निविदाओं में से किसी एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का समस्त अधिकार नगर आयुक्त एवं महापौर नगर निगम रुद्रपुर में निहित है।
4. किसी भी प्रकार की सशर्त/अपूर्ण हो को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. निविदा प्रक्रिया हेतु निर्धारित की गई तिथियों में कोई राजकीय अवकाश होने की दशा में उक्त तिथि की प्रक्रिया अगले कार्य दिवस में की जायेगी।
6. निर्धारित श्रेणी के अन्तर्गत प्रस्तुत निविदा ही मान्य होंगी श्रेणी से इतर दी गई निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

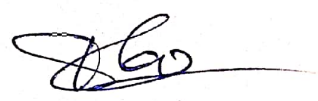
7. निविदा दर प्राक्कलन की धनराशि से कम दरों पर प्राप्त होने की दशा में G.P.W-9 के clause सी 3 के अनुसार निर्धारित Additional Performance Security ठेकेदार द्वारा द्वितीय पक्ष को जमा कराई जायेगी जो कि कार्य समाप्ति पर अन्तिम बिल भुगतान के उपरान्त कार्य संतोषजनक होने पर अवमुक्त की जायेगी।
8. सफल निविदादाता संविदा करते समय संविदा मूल्य का 05 प्रतिशत कार्यपूर्ति अथवा परफॉर्मन्सगारण्टी और 05 प्रतिशत संविदा मूल्य का प्रतिभूति निक्षेप करेगा। निविदादाता की इच्छा पर पूर्व में जमा की गई (ई.एम.डी.) धरोहर धनराशि को कार्यपूर्ति गारण्टी प्रतिभूति निक्षेप में परिवर्तित कर सकता है बशर्ते की धरोहर धनराशि की वैधता अवधि होनी चाहिए।
9. निविदा समिति की स्वीकृति उपरान्त सफल निविदादाता को एक सप्ताह के अन्दर कार्य के सापेक्ष अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करते हुए अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात सम्बन्धित निविदादाता की धरोहर धनराशि जब्त कर दी जायेगी।
10. ठेकेदार कार्य को अनुबन्ध की समयावधि में पूर्ण नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध शासनादशों के अनुक्रम में भुगतान बिल से कटौती की जायेगी। जिसमें ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
11. निविदादाता को कार्यदेश जारी होने के उपरान्त 01 सप्ताह के अन्दर नगर निगम के तकनीकी अभियन्ता की उपस्थिति में कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा एवं कार्यस्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व के फोटोग्राफ एवं कार्य प्रारम्भ, मध्य व कार्य समाप्ति के समय के रंगीन फोटोग्राफ अवर अभियन्ता नगर निगम रुद्रपुर से निरीक्षण कराते हुए प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
12. ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करते समय प्रयुक्त निर्माण सामग्री के सैम्पल जॉच किसी मान्यता प्राप्त लैब (प्रयोगशाला) से कराना आवश्यक होगा तथा सैम्पल की जॉच रिपोर्ट नगर निगम में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। जिसका व्यय निगम द्वारा अनुमोदित दरों पर विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
13. स्वीकृत कार्य में खुदाई से निकलने वाली मिट्टी, पुरानी टाईल्स व पुरानी ईंट, लोहे का जाल इत्यादि पुरानी सामग्री को नगर निगम में जमा कराना आवश्यक होगा। ठेकेदार द्वारा उक्त का प्रयोग करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी एवं अन्तिम भुगतान बिल से उसकी कटौती की जायेगी।
14. स्वीकृत कार्य को नगर निगम रुद्रपुर में कार्यरत अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता की उपस्थिति में प्रारम्भ करना होगा तथा उनके निर्देशों के अनुसार पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। कार्य में कोई कमी पाये जाने पर उक्त कमी निश्चित अवधि में सही करने के लिए ठेकेदार को नोटिस दिया जायेगा, यदि ठेकेदार उक्त समयावधि में कमियां दूर करने में असफल होता है तो नगर निगम को यह अधिकार होगा कि किसी अन्य ठेकेदार से कार्य सही करवा ले। कार्य की लागत की कटौती प्रथम ठेकेदार के बिल से कर ली जायेगी।
15. सम्पादित कार्य के बिलों के भुगतान में से जमानत धनराशि, रॉयल्टी एवं अन्य आवश्यक कटौतियां नियमानुसार कर ली जायेंगी तथा जी.एस.टी विभाग द्वारा नियमानुसार देय होगा।
16. निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की रॉयल्टी जमा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा इस आशय के अभिलेख कार्यालय में जमा करने अनिवार्य होंगे। अभिलेख जमा न करने की स्थिति में रॉयल्टी की कटौती ठेकेदार के भुगतान बिल से कर ली जायेगी।
17. यदि शासन द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार के अन्य अतिरिक्त करों का आरोपण किया जाता है, तो उसकी कटौती भुगतान बिल से की जायेगी। जिसमें ठेकेदार की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
18. कार्य संतोषप्रद ढंग से पूर्ण होने के पश्चात कार्य की Defect Liability Period (01 वर्ष) के बाद तकनीकी अधिकारी द्वारा कार्य संतोषजनक होने की संस्तुति उपरान्त ठेकेदार को नियमानुसार सिक्कोरिटी डिपोजिट की धनराशि वापिस लौटा दी जायेगी।

19. ठेकेदार/फर्म को कार्य का भुगतान धन उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा तथा बिल भुगतान में विलम्ब होने पर किसी भी प्रकार का ब्याज/अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।
20. ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह कार्य पूर्ण होने पर कार्यस्थल को साफ सुथरे रूप में विभाग को हस्तांतरित करना आवश्यक होगा।
21. कार्य के मध्य किसी मजदूर आदि के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इस हेतु नगर निगम किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं होगा।
22. अपरिहार्य स्थितियों में ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय पर कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो निर्धारित समय से पूर्व समय वृद्धि हेतु परिस्थिति का विशेष उल्लेख करना होगा तथा उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित अवधि को बढ़ाए जाने का अधिकार केवल 02 माह तक अधिशासी अभियन्ता नगर निगम रुद्रपुर को होगा। यदि उक्त समयावधि बढ़ाए जाने के उपरान्त भी उक्त कार्य ठेकेदार द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, तो परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 02 माह से अधिक का समय नगर आयुक्त को स्वविवेक से बढ़ाने का अधिकार होगा।
23. निर्धारित समयावधि अन्तर्गत अथवा पुनः समयावधि बढ़ाए जाने पर भी ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, अथवा वह कार्य को छोड़ देता है तो नगर आयुक्त को अधिकार होगा कि वह सम्बन्धित ठेकेदार का ठेका रद्द करते हुए धरोहर धनराशि एवं अतिरिक्त धरोहर धनराशि को जब्त कर लें तथा ठेकेदार को आगामी 03 (तीन) वित्तीय वर्षों हेतु काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
24. पक्षों में विवाद की दशा में मामला जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर के पास पंच निर्णय हेतु भेजा जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पारित निर्णय दोनों पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य होगा।
- नोट-समस्त निविदादाता उपरोक्त शर्तों का अक्षरशः अध्ययन कर उसका पालन सुनिश्चित करें अन्यथा स्थिति में उनके द्वारा दी गई निविदा निरस्त की जायेगी जिस हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।


प्र० अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।


वरिष्ठ विप्लव अधिकारी
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।


नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।


महापौर
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।